भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
आर्थिक कार्य विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं.560
(जिसका उत्तर मंगलवार, 07 फरवरी, 2023/18 माघ, 1944 (शक) को दिया जाना है)
बढ़ती आय असमानता

560 श्री मल्लिकार्जुन खरगे:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि::

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश के सबसे अमीर एक प्रतिशत वर्ग के पास देश की कुल संपत्ति का 40 प्रतिशत से अधिक हिस्सा है, जबकि बाकी आधी गरीब आबदी के पास संयुक्त रूप से केवल 3 प्रतिशत संपत्ति है;

(ख) यदि हां, तो देश में आय असमानता में इतनी तेजी से होने वाली वृद्धि के पीछे क्या कारण हैं; और

(ग) देश में बढ़ती आय असमानता को नियंत्रित करने के लिए मंत्रालय ने क्या कदम उठाए हैं?

उत्तर
वित्त राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क) और (ख) भारत में, आय के वर्ग वितरण पर डेटा केंद्रीय रूप से संकलित नहीं किया जाता है। हालाँकि, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय (एनएसएसओ) द्वारा एकत्र किए गए घरेलू उपभोग व्यय डेटा का उपयोग उपभोग व्यय के संदर्भ में आर्थिक असमानता पर काबू पाने के लिए प्रॉक्सी के रूप में किया जा सकता है। वर्ष 2011-12 में आयोजित अपने 68वें दौर में एनएसएसओ द्वारा घरेलू उपभोक्ता व्यय पर बड़े नमूना सर्वेक्षण का नवीनतम डेटा एकत्र किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में गिनी गुणांक (आबादी के विभिन्न व्यय वर्गों के बीच असमानता को मापना) वर्ष 2004-05 और वर्ष 2011-12 में क्रमशः 0.27 और 0.28 था जो लगभग समान है। शहरी क्षेत्रों में, गिनी गुणांक वर्ष 2004-05 में 0.35 था जो वर्ष 2011-12 में थोड़ा बढ़कर 0.37 तक हो गया है। अगला घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण करने की प्रक्रिया अगस्त 2022 में शुरू की गई है।

(ग) भारत सरकार समावेशी विकास पर ध्यान केंद्रित कर रही है जैसा कि सबका साथ, सबका विकास के प्रति उसकी प्रतिबद्धता में परिलक्षित होता है और इसने कई लक्षित योजनाएं शुरू की हैं जिनका उद्देश्य गरीबी और असमानता को कम करना, सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना, आय सृजन और आजीविका के विकल्प प्रदान करना और देश में आबादी के कमजोर वर्गों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना है।

समावेशी विकास के लिए किए गए प्रमुख उपायों में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना; नाबार्ड के माध्यम से किसानों के लिए अतिरिक्त आपातकालीन कार्यशील पूंजी निधियन; किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से रियायती ऋण; पीएम-किसान के तहत निधि अंतरण, पीएम फसल बीमा योजना दावा भुगतान; डीएपी और पीएण्डके उर्वरकों के लिए अतिरिक्त सब्सिडी; सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में स्वामित्व योजना का विस्तार; कृषि ऋण और अवसंरचना निधियों को बढ़ाना; डेयरी सहकारी समितियों के लिए ब्याज अनुदान; राज्य को ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि के तहत नकदी सहायता; फार्म गेट अवसंरचना के लिए कृषि-अवसंरचना निधि; सूक्ष्म खाद्य उद्यमों के औपचारिकीकरण के लिए योजना, प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना, राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम, पशुपालन अवसंरचना विकास निधि, हर्बल खेती और मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देना

और टमाटर, प्याज और आलू से लेकर सभी फलों और सब्जियों तक ऑपरेशन ग्रीन्स का विस्तार करना है।

इसके अलावा, रोजगार सृजन, आजीविका के अवसरों को मजबूत करने, स्वरोजगार को बढ़ावा देने, ग्रामीण युवाओं के कौशल विकास, सामाजिक सहायता और अन्य बुनियादी सुविधाओं के प्रावधान के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए सरकार, अन्य बातों के साथ-साथ, दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, दीन दयाल उपाध्याय-ग्रामीण कौशल्य योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, और राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम को कार्यान्वित कर रही है।
